अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त किए गए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता

540. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने सहायक अभियंताओं को मंत्रियों द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों में अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है;

(ख) इन नियुक्तियों से विभाग के विकास कार्यों पर किस हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) एक।

(ख) विकास कार्य में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) और (घ) रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री के अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त सहायक इंजीनियर बावत एवजी की पहले ही तैनाती कर दी गई है।

काली बाड़ी सरकारी कालोनी, नई दिल्ली में अवैध निर्माण

541. **श्री राजनाथ सिंह:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जे-ब्लाक, मंदिर मार्ग (काली बाड़ी) नई दिल्ली स्थित सरकारी आवासीय कालोनी में निवासियों ने अप्राधिकृति रूप से अतिरिक्त कमरों का निर्माण कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों ने अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए सरकार से अनुमति ली है,

(घ) यदि हां, तो उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अतिरिक्त कमरों के निर्माण की अनुमति ली है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन कमरों को गिराने और उन कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है (नीचे देखिये)

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संपदा निदेशालय द्वारा नियमों के अंतर्गत अनधिकृत निर्माण को हटाने अथवा आवंटन रद्द करने के लिए 31 आबंटियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

(च) ऐसे मामले में कार्यवाही पूरी कराने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना होता है।

विवरण

आई/एच उपमंडल के ब्लॉक-वार नई दिल्ली, के अधीन जे ब्लॉक मंदिर मार्ग में अनधिकृत निर्माण की स्थिति

एफआर= सामने का कमरा	बी-आर= पीछे का कमरा	बी-सी= कबर की गई बालकोनी	बी डब्ल्यू= चारदीवारी
जी एफ भूतल	एफएफ-प्रथम तल	एस. एफ दूसरा तल	टी एफ-ऊपरी तल

क्र. सं.	क्वाटर नं.	निर्माण का प्रकार	तल
1	2	3	4
1.	ज. 583	बी.आर.बी.सी.	भूतल
2.	जे. 591	बी.सी.	दूसरा तल
3.	जे. 553	ए. आर. बी. डब्ल्यू	भूतल

1	2	3	4
4.	जे. 556	बी. सी.	प्रथम तल
5.	जे. 568	एफ.आर.बी.आर.बी.सी.बी.डब्ल्यू	भूतल
6.	जे. 554	बी.सी.	भूतल
7.	जे. 559	बी.आर.	प्रथम तल
8.	जे. 569	बी.आर.	भूतल
9.	जे. 574	बी.सी.आर.बी.डब्ल्यू	प्रथम तल
10.	जे. 584	बी. आर. बी. डब्ल्यू	भूतल
11.	जे. 593	बी. सी.	दूसरा तल
12.	जे. 600	एफ. आर. बी. सी.	भूतल
13.	जे. 614	एफ. आर. बी. आर. बी. सी.	भूतल
14.	जे. 617	बी. सी.	प्रथम तल
15.	जे. 629	एफ. आर.बी.सी.बी. डब्ल्यू.	भूतल
16.	जे. 613	बी. सी.	भूतल
17.	जे. 628	बी.आर.बी.डब्ल्यू.	भूतल
18.	जे. 636	बी. सी.	दूसरा तल
19.	जे. 646	बी. सी.	प्रथम तल
20.	जे. 650	बी. सी.	दूसरा तल
21.	जे. 643	बी.सी.बी. डब्ल्यू.	भूतल
22.	जे. 658	बी. सी.	भूतल
23.	जे. 662	बी. सी.	प्रथम तल
24.	जे. 698	बी.आर.बी.सी.बी.डब्ल्यू.	भूतल
25.	जे. 601	बी. सी.	प्रथम तल
26.	जे. 673	बी. सी.	भूतल
27.	जे. 681	बी. सी.	दूसरा तल
28.	जे. 685	बी. सी.	उपरी तल
29.	जे. 659	एफ. आर. बी. आर.	भूतल
30.	जे. 660	एफ. आर. बी. सी.	भूतल
31.	जे. 664	बी. सी.	प्रथम तल
32.	जे. 644	एफ. आर. बी. आर.	भूतल
33.	जे. 653	बी. सी.	दूसरा तल
34.	जे. 682	बी. सी.	दूसरा तल
35.	जे. 674	बी.आर.बी.सी.बी.डब्ल्यू	भूतल
36.	जे. 606	बी.सी.पी.एफ.	भूतल
37.	जे. 703	एफ. आर., बी. आर.	भूतल
38.	जे. 890	बी.सी., बी. डब्ल्यू.	भूतल
39.	जे. 597	बी. सी.	दूसरा तल
40.	जे. 704	बी.आर.,बी.सी.	भूतल

1	2	3	4
41.	जे. 705	एफ. आर., बी. आर. बी. सी.	भूतल
42.	जे. 772	बी. सी.	दूसरा तल
43.	जे. 750	एफ.आर., बी.सी.	भूतल
44.	जे. 757	बी. सी.	दूसरा तल
45.	जे. 735	बी.आर.	भूतल
46.	जे. 763	बी. सी.	भूतल
47.	जे. 793	बी.आर, बी.सी.	भूतल
48.	जे. 805	बी. सी.	उपरी तल
49.	जे. 808	एफ. आर, बी. आर, बी. सी.	भूतल
50.	जे. 811	बी. सी.	प्रथम तल
51.	जे. 794	बी. सी.	भूतल
52.	जे. 795	बी.आर.,	भूतल
53.	जे. 779	बी. सी.	भूतल
54.	जे. 780	एफ. आर, बी.सी., बी. डब्ल्यू	भूतल
55.	जे. 799	बी. सी.	प्रथम तल
56.	जे. 807	बी. सी.	उपरी तल
57.	जे. 813	बी. सी.	प्रथम तल
58.	जे. 825	एफ. आर, बीसी.,	भूतल
59.	जे. 829	बी. सी.	प्रथम तल
60.	जे. 824	बी. सी.	भूतल
61.	जे. 840	एफ. आर., बी.सी.	भूतल
62.	जे. 848	बी. सी.	दूसरा तल
63.	जे. 854	बी. सी.	भूतल
64.	जे. 839	बी. सी.	भूतल
65.	जे. 866	एफ. आर, बी. सी.	भूतल
66.	जे. 846	बी. सी.	दूसरा तल
67.	जे. 841	बी. सी.	प्रथम तल
68.	जे. 845	बी. सी.	दूसरा तल
69.	जे. 881	बी. सी.	दूसरा तल
70.	जे. 864	बी. सी.	उपरी तल
71.	जे. 866	बी. सी.	उपरी तल
72.	जे. 876	बी. सी. एस. एफ	दूसरा तल
73.	जे. 868	बी. सी.	भूतल
74.	जे. 888	बी. सी.	प्रथम तल
75.	जे. 885	बी. सी.	भूतल
76.	जे. 922	बी. सी.	दूसरा तल
77.	जे. 921	बी. सी.	दूसरा तल

1	2	3	4
78.	जे. 923	बी. सी.	दूसरा तल
79.	जे. 898	एफ. आर.	भूतल
80.	जे. 902	बी. सी.	प्रथम तल
81.	जे. 901	बी. सी.	प्रथम तल
82.	जे. 900	एफ. आर.	भूतल
83.	जे. 899	एफ. आर.	भूतल
84.	जे. 906	बी. सी.	दूसरा तल
85.	जे. 908	बी. सी.	दूसरा तल
86.	जे. 909	आन एफ	उपरी तल
87.	जे. 910	आन एफ	उपरी तल
88.	जे. 928	बी. सी.	भूतल
89.	जे. 980	बी. सी.	भूतल
90.	जे. 931	बी. सी.	प्रथम तल
91.	जे. 933	बी.सी.	प्रथम तल
92.	जे. 934	बी.सी.	प्रथम तल
93.	जे. 778	एफ. आर; बी. आर. बी.सी.	भूतल

Allotment of Accommodation to IAS Officers in Delhi

542. SHRI RAJ NATH SINGH:

SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that large number of IAS Officers of U.P. Cadre who were on deputation to the Centre and have been reverted back to their home State are still retaining Government accommodation allotted to them in Delhi.

(b) if so, the details thereof;

(c) the reasons for not vacating the accommodation in Delhi as these officers have been allotted accommodation in U.P. itself;

(d) whether Government would recover market rent from such officers; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) to (e) As per rule retention of Government accommodation to the officers transferred from one station to another is permissible for a period of two months on payment of normal licence fee and further period of six months on payment of twice the normal licence fee on medical/educational grounds. Such retention is not linked with the allotment of Government accommodation to the transferee by the State Govt. In case of overstay, licence fee at damages rates are charged and action to get premises vacated is taken under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971. No list of cadre-wise IAS officers or any other categories of officers in occupation of Government accommodation is maintained.

Allotment of 'Thiyas' to vegetable sellers in Jheel Kuranja, East Delhi

543. SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Delhi Development Authority has earmarked and prepared a lay out plan of a vacant plot for allotment of 'Thiyas' of 2x2 mts, measurement to the Jheel Kuranja (East Delhi) Vegetable selling road encroachers, who have earlier depostied Rs. 500/- each with DDA;